19.05.2023:—पत्रावली पेशी मे आई। अधिवक्ता उपस्थित। मुल वादपत्र मे राजीनामा अनुसार डिक्री हो चुका है। इसलिए प्रार्थना—पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र डिक्रीत होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.ए. वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Avi Garg
Date: 2023.08.02 12:25:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner